## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 63 / 2019(2019 / 00393)

1. रामस्वरूप पुत्र श्री माधु जाति जाट निवासी उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. श्योराज पुत्र श्री माधु जाति जाट निवासी उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. श्रीमति रामप्यारी पुत्री माधु पत्नि ओमड जाति जाट निवासी उगानखेडा तहसील केकडी हाल निवासी केरोट तहसील भिनाय जिला अजमेर।

----प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. रामगोपाल पुत्र श्री बैजनाथ जाति जाट।
2. रामरतन पुत्र श्री बैजनाथ जाति जाट।
3. लादू पुत्र श्री बालू जाति जाट।
4. हरिराम पुत्र श्री हंसराज जाति जाट।
5. रामेश्वर पुत्र श्री रामकिशन जाति जाट।
6. श्योजी पुत्र श्री रामकिशन जाति जाट।
7. हंसराज पुत्र श्री लादू बैरवा जाति बैरवा।
8. रामरतन पुत्र गंगाराम बैरवा जाति बैरवा।
9. सुवा पुत्र रामेदव जाति बैरवा।
10. दुर्गा लाल पुत्र रामप्रताप जाति मीणा।
11. बन्ना पुत्र श्री श्योनारायण जाति जाट।
    तमाम निवासीगण ग्राम उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

---- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–
प्रार्थी वकील :– श्री चेतन धाबाई
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

**आदेश**

दिनांक 6/6/2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है।** आराजी की जमाबन्दी संवत **2070–73** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

| खाता संख्या (नया–पुराना) | खसरा नम्बर | रकबा (है.) | किस्म |
|---|---|---|---|
| 210–224 | 449 | 0.50 | बारानी उत्तम |
| | 761 | 0.30 | चाही 2 |
| | 763 | 0.23 | चाही 2 / जाव2 |
| | 764 | 0.40 | जाव 2 / चाही 2 |
| | 884 | 0.08 | गै.मु.पाल |
| | 885 | 1.47 | नहरी 2 |
| | 886 | 0.07 | गै.मु.पाल |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.08.04 13:45:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

| | कुल किता 7 | रकबा 2.75हैक्टर | |
|---|---|---|---|

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण 1 लगायत 3 का 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थीगण के नाम खातेदार काश्तकार में दर्ज है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 उक्त वर्णित आराजीयात के पडौसी है तथा मोके पर पडौसियों को सीमा विवाद के कारण आपस में झगडा होने का सदैव अन्देशा बना रहता है उपरोक्त वर्णित आराजीयात के स्थाई सीमा चिन्ह पत्थरगढी नही होने से आये दिन सीमा विवाद व मेड को तोड देते है व पडोसियों के मध्य विवाद होता रहता है प्रार्थी ने दिनांक 30.6.2016 को श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी को उपरोक्त वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त सीमाज्ञान से अप्रार्थीगण संतुष्ट नही है तथा अप्रार्थीगण ने सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया है दिनांक 25.11.19 को प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजीयात को हाकने गये तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा फसाद करने लग गये एवं प्रार्थी को हाकने चौकने नही दिया तथा झगडा फसाद करने लग गये इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। स्थाई पत्थरगढ़ी व सीमा चिन्ह लगाये जाने का आदेश किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी द्वारा राजहित प्रभावित नही होना बताया। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम उगानखेडा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या नया पुराना 210–224 के खसरा संख्या 449,761,763,764,884,885,886 के रकबा 0.50, 0.30, 0.23, 0.40, 0.08, 1.47, 0.07 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला–अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.08.04 13:45:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner